NEXT IAS

दैनिक समसामयिकी विश्लेषण

समय: 45 मिनट

दिनाँक: 09-05-2026

विषय सूची

वृद्ध होती भारत की जनसंख्या के दौर में वरिष्ठ नागरिक देखभाल प्रणाली

निर्वाचन आयोग में नियुक्तियों पर सर्वोच्च न्यायालय

भारत में विद्यालय शिक्षा प्रणाली पर नीति आयोग की रिपोर्ट

भारत की अत्यधिक भीड़भाड़ वाली कारागार प्रणाली में सुधार

भारत–कनाडा सहयोग

सोमनाथ मंदिर

संक्षिप्त समाचार

- 165वीं जयंती – रवीन्द्रनाथ टैगोर
- महाराणा प्रताप की जयंती
- प्रोजेक्ट फ्रीडम
- भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा पूंजी पर्याप्तता मानदंडों में संशोधन
- TARA ग्लाइड वेपन/हथियार
- अंतरराष्ट्रीय मानकीकरण संगठन (ISO)
- हाइब्रिड गुलाब 'त्रिभुवन' – स्व. त्रिभुवन प्रसाद सिंह को श्रद्धांजलि

वृद्ध होती भारत की जनसंख्या के दौर में वरिष्ठ नागरिक देखभाल प्रणाली

संदर्भ

- भारत की तीव्र गति से वृद्ध होती जनसंख्या उसके अस्पताल-केंद्रित स्वास्थ्य प्रणाली की सीमाओं को उजागर कर रही है, जिससे वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक व्यापक दीर्घकालिक देखभाल तंत्र की आवश्यकता उत्पन्न हो रही है।

वरिष्ठ नागरिक देखभाल प्रणाली की आवश्यकता

- संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष (UNFPA) की भारत एजिंग रिपोर्ट 2023 के अनुसार, भारत की वृद्ध जनसंख्या वर्तमान में लगभग 14.9 करोड़ है, जो 2050 तक बढ़कर लगभग 34.7 करोड़ हो जाएगी। इसका अर्थ है कि प्रत्येक पाँच में से एक भारतीय 60 वर्ष से अधिक आयु का होगा।
- नीति आयोग की सीनियर केयर पोजीशन पेपर 2024 में उल्लेख है कि 75% से अधिक वृद्ध भारतीय कम-से-कम एक दीर्घकालिक रोग से पीड़ित हैं, जबकि केवल लगभग 18% के पास किसी प्रकार का स्वास्थ्य बीमा है।
- वरिष्ठ नागरिकों को प्रायः एक साथ कई स्वास्थ्य समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जैसे उच्च रक्तचाप, मधुमेह, गठिया, पार्किंसन रोग आदि।
  - इन स्थितियों के लिए निरंतर निगरानी, पुनर्वास और समन्वित देखभाल की आवश्यकता होती है, न कि केवल अल्पकालिक अस्पताल उपचार की।
- शहरीकरण और एकल परिवारों की बढ़ती प्रवृत्ति पारंपरिक परिवार-आधारित सहयोग को कम कर रही है।

भारत की वरिष्ठ नागरिक देखभाल प्रणाली में संरचनात्मक अंतराल

- **अस्पताल-केंद्रित स्वास्थ्य मॉडल**: भारत की स्वास्थ्य प्रणाली मुख्यतः तीव्र रोगों के उपचार हेतु डिज़ाइन की गई है, जबकि वरिष्ठ नागरिकों को निरंतर और बहु-विशेषज्ञता आधारित देखभाल की आवश्यकता होती है।
- **जेरियाट्रिक विशेषज्ञों की कमी**: भारत में 15 करोड़ से अधिक वरिष्ठ नागरिकों के लिए प्रमाणित जेरियाट्रिशियन की संख्या 1,000 से भी कम है।
- **जेरियाट्रिक चिकित्सा की उपेक्षा**: यह चिकित्सा शाखा अभी भी उपेक्षित है और प्रशिक्षण के अवसर सीमित हैं।
- **कमज़ोर चिकित्सा आपूर्ति श्रृंखला**: द्वितीय और तृतीय श्रेणी के शहरों में दवाओं, सहायक उपकरणों, पुनर्वास साधनों एवं चिकित्सा उपभोग्य सामग्रियों की कमी रहती है।
- **विखंडित डिजिटल स्वास्थ्य प्रणाली**: अस्पतालों, क्लीनिकों और घरेलू देखभाल प्रदाताओं के बीच स्वास्थ्य अभिलेख एकीकृत नहीं हैं।
- **अपर्याप्त दूरस्थ निगरानी और टेलीमेडिसिन**: दीर्घकालिक रोगों के लिए वरिष्ठ नागरिकों हेतु इन सेवाओं का विकास अभी भी अपर्याप्त है।

भारत में वरिष्ठ नागरिक देखभाल हेतु सरकारी प्रयास

- **अटल पेंशन योजना (APY)**: 2015 में शुरू की गई, असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को वृद्धावस्था में आय सुरक्षा प्रदान करती है। 60 वर्ष के बाद ₹1,000–₹5,000 मासिक पेंशन सुनिश्चित करती है।
- **राष्ट्रीय वयोश्री योजना (RVY)**: 2017 में शुरू की गई, बीपीएल वरिष्ठ नागरिकों या ₹15,000/माह से कम आय वाले व्यक्तियों को सहायक उपकरण (श्रवण यंत्र, छड़ी, व्हीलचेयर आदि) वितरित करती है।
- **SAGE पोर्टल (सीनियर केयर एजिंग ग्रोथ इंजन)**: वरिष्ठ नागरिक देखभाल सेवाओं में स्टार्ट-अप और नवाचार को प्रोत्साहित करता है, जिससे सिल्वर इकॉनमी का विकास होता है।
- **आयुष्मान भारत – पीएम-जय (PMJAY)**: 70 वर्ष से अधिक आयु के लगभग 6 करोड़ वरिष्ठ नागरिकों को 4.5 करोड़ परिवारों के माध्यम से ₹5 लाख वार्षिक स्वास्थ्य कवरेज प्रदान करता है।
- **माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण-पोषण एवं कल्याण अधिनियम, 2007**: बच्चों और उत्तराधिकारियों को अपने माता-पिता का भरण-पोषण करने का कानूनी दायित्व सौंपता है।

- राज्य सरकारों को वृद्धाश्रम स्थापित करने और वरिष्ठ नागरिक कल्याण सेवाएँ सुनिश्चित करने का निर्देश देता है।

आगे की राह

- **कुशल कार्यबल विकास**: नर्सों, देखभालकर्ताओं, फिजियोथेरेपिस्टों और केयर कम्पैनियन्स के लिए मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण कार्यक्रम विकसित किए जाने चाहिए।
- **घर-आधारित और सामुदायिक देखभाल**: वरिष्ठ नागरिकों में अनावश्यक अस्पताल भर्ती को कम करने हेतु घरेलू स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार किया जाना चाहिए।
    - दीर्घकालिक रोग प्रबंधन हेतु टेलीमेडिसिन और दूरस्थ निगरानी प्रणालियों को सुदृढ़ किया जाना चाहिए।
- **डिजिटल स्वास्थ्य अवसंरचना**: वरिष्ठ नागरिक देखभाल सेवाओं को आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन (ABDM) से एकीकृत किया जाना चाहिए।
- **सिल्वर इकॉनमी में नवाचार को प्रोत्साहन**: सहायक तकनीकों, एआई-आधारित स्वास्थ्य निगरानी उपकरणों और वरिष्ठ नागरिकों की आवश्यकताओं के अनुरूप उपयोगकर्ता-अनुकूल अनुप्रयोग विकसित करने वाले स्टार्ट-अप्स को समर्थन दिया जाना चाहिए।
- **सामाजिक दृष्टिकोण में परिवर्तन**: समाज को पेशेवर वरिष्ठ नागरिक देखभाल को पारिवारिक सहयोग का जिम्मेदार विस्तार मानना चाहिए, न कि जिम्मेदारी से विमुख होना।

स्रोत: TH

निर्वाचन आयोग में नियुक्तियों पर सर्वोच्च न्यायालय

संदर्भ

- हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने टिप्पणी की कि संसद द्वारा निर्वाचन आयोग (EC) की नियुक्तियों पर कानून बनाने में लंबे समय तक विफलता 'निर्वाचितों की निरंकुशता' को दर्शाती है।

सर्वोच्च न्यायालय की हालिया टिप्पणियाँ (मई 2026)

- **'निर्वाचितों की निरंकुशता'**: न्यायालय ने प्रश्न उठाया कि संवैधानिक प्रावधान होने के बावजूद संसद दशकों तक कानून बनाने में क्यों विफल रही, और कहा कि इसे 'निर्वाचितों की निरंकुशता' के रूप में देखा जाना चाहिए।
    - यह शक्ति के केंद्रीकरण और स्वतंत्र संस्थाओं पर कार्यपालिका के प्रभाव को लेकर न्यायिक चिंता को दर्शाता है।
- **संसदीय विमर्श पर परिचर्चा** : न्यायालय ने पूछा कि क्या संसद ने अनूप बरनवाल निर्णय पर पर्याप्त परिचर्चा की और क्या न्यायिक अनुशंसाओं की भावना कानून में परिलक्षित हुई।

निर्वाचन आयोग की संवैधानिक स्थिति

- **अनुच्छेद 324**: भारत के संविधान के अनुच्छेद 324 के अंतर्गत निर्वाचन आयोग की स्थापना की गई है।
- **संरचना**:
    - प्रारंभ में आयोग में केवल मुख्य निर्वाचन आयुक्त (CEC) होता था।
    - 1993 से यह बहु-सदस्यीय निकाय के रूप में कार्य कर रहा है, जिसमें मुख्य निर्वाचन आयुक्त और दो निर्वाचन आयुक्त (ECs) शामिल हैं।
- **नियुक्ति**: भारत के राष्ट्रपति CEC और ECs की नियुक्ति करते हैं। अनुच्छेद 324(2) में कहा गया है कि नियुक्तियाँ संसद द्वारा बनाए गए किसी भी कानून के अधीन होंगी।
- **कार्य**: लोकसभा, राज्यसभा, राज्य विधानसभाओं एवं परिषदों, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनावों का पर्यवेक्षण, निर्देशन और नियंत्रण।
- **भूमिका और शक्तियाँ**: मतदाता सूची तैयार करना, चुनाव कराना, आचार संहिता लागू करना, राजनीतिक दलों को मान्यता देना और चुनाव चिह्न आवंटित करना।
- **स्वतंत्रता**: संविधान ने स्वतंत्रता सुनिश्चित करने हेतु प्रावधान किए हैं, जैसे CEC को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की तरह ही हटाया जा सकता है, और नियुक्ति के बाद उनकी सेवा शर्तों में प्रतिकूल परिवर्तन नहीं किया जा सकता।

पूर्व में निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति प्रक्रिया

- 2023 के कानून से पहले, विधि मंत्रालय उम्मीदवारों की सूची तैयार करता था, जिसे प्रधानमंत्री को भेजा जाता था। प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को परामर्श देते थे और राष्ट्रपति औपचारिक नियुक्ति करते थे।

निर्वाचन आयोग नियुक्ति कानून (2023)

- संसद ने मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त अधिनियम, 2023 पारित किया।
- इसमें चयन समिति से मुख्य न्यायाधीश (CJI) को हटाकर प्रधानमंत्री द्वारा नामित एक केंद्रीय मंत्री को शामिल किया गया।
- **नई चयन समिति**: प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष के नेता, और प्रधानमंत्री द्वारा नामित केंद्रीय मंत्री।

2023 के कानून से जुड़ी प्रमुख चिंताएँ

- **कार्यपालिका का प्रभुत्व**: तीन में से दो सदस्य कार्यपालिका से होने के कारण नियुक्तियों पर कार्यपालिका का नियंत्रण पुनः स्थापित हो गया।
- **न्यायिक निष्पक्षता का ह्रास**: CJI को हटाने से संतुलन और निष्पक्षता कमजोर हुई।
- **चयन में व्यापक विवेकाधिकार**: धारा 8(2) के अनुसार समिति खोज समिति की सूची से बाहर भी व्यक्तियों का चयन कर सकती है। इससे पारदर्शिता और वस्तुनिष्ठता कम हो सकती है।
- **रिक्ति के बावजूद वैधता**: धारा 7(2) के अनुसार समिति में रिक्ति होने पर भी नियुक्तियाँ वैध रहेंगी। इससे सामूहिक निर्णय प्रक्रिया कमजोर हो सकती है।

अनूप बरनवाल मामला (2023)

- याचिकाकर्ताओं ने EC नियुक्तियों के लिए स्वतंत्र तंत्र की अनुपस्थिति को चुनौती दी।
- सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि निर्वाचन आयोग लोकतंत्र का संरक्षक है।
  - चुनावी अखंडता के लिए संस्थागत स्वतंत्रता आवश्यक है।
  - कार्यपालिका का एकाधिकार जनविश्वास को कमजोर कर सकता है।

सर्वोच्च न्यायालय की 2023 अंतरिम व्यवस्था

- **नियुक्ति समिति**: प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष के नेता और भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI)।
- **संवैधानिक आधार**: न्यायालय ने संविधान सभा की परिचर्चाओं, डॉ. बी.आर. अम्बेडकर की चिंताओं और लोकतंत्र एवं स्वतंत्र चुनावों के मूल संरचना सिद्धांतों पर विश्वास किया।

अनूप बरनवाल निर्णय में महत्वपूर्ण टिप्पणियाँ

- **लोकतंत्र का संरक्षक निर्वाचन आयोग**: न्यायालय ने कहा कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव संविधान की मूल संरचना का हिस्सा हैं।
- **मतदान अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के रूप में**: निर्णय ने मतदान अधिकार को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता (अनुच्छेद 19(1)(a)) से जोड़ा।
- **संस्थागत स्वतंत्रता**: न्यायालय ने स्वतंत्र EC सचिवालय और EC के व्यय को भारत की संचित निधि से लेने की अनुशंसा की।
  - इसका उद्देश्य कार्यपालिका के वित्तीय दबाव से आयोग को मुक्त करना था।

सुझाए गए सुधार

- **स्वतंत्र कोलेजियम**: प्रधानमंत्री, विपक्ष के नेता और CJI को शामिल करना।
- **पारदर्शी चयन मानदंड**: पात्रता मानकों और चयन तर्क का सार्वजनिक प्रकटीकरण।
- **स्वतंत्र सचिवालय**: कार्यपालिका पर प्रशासनिक निर्भरता कम करना।
- **वित्तीय स्वायत्तता**: EC के व्यय को भारत की संचित निधि से लेना।
- **संसदीय समीक्षा**: संवैधानिक नियुक्तियों पर समिति-आधारित विमर्श को सुदृढ़ करना।

स्रोत: IE

भारत में विद्यालय शिक्षा प्रणाली पर नीति आयोग की रिपोर्ट

संदर्भ

- नीति आयोग ने भारत में विद्यालय शिक्षा प्रणाली पर नीति रिपोर्ट: समयगत विश्लेषण और गुणवत्ता संवर्द्धन हेतु नीतिगत रोडमैप जारी की है।

परिचय

- यह रिपोर्ट एक नीतिगत दस्तावेज़ है जो भारत की विद्यालय शिक्षा प्रणाली का व्यापक, दशक-भर का विश्लेषण प्रस्तुत करती है।
- इसमें प्रमुख मानदंड शामिल हैं जैसे – पहुँच और नामांकन, अवसंरचना, समानता और समावेशन, तथा अधिगम परिणाम।
- रिपोर्ट में विस्तृत नीतिगत रोडमैप और व्यापक अनुशंसाएँ दी गई हैं।

प्रमुख निष्कर्ष

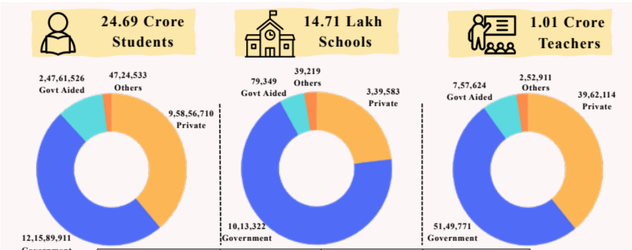

TYPE	STUDENTS	SCHOOLS	TEACHERS
Government	49.2%	68.1%	50.9%
Government Aided	10%	5.4%	7.5%
Private	38.8%	23.1%	39.1%
Others	1.9%	2.7%	2.5%

Figure 3.1: Snapshot of India's School Education System (2024-25)

- भारत ने प्राथमिक स्तर पर लगभग सार्वभौमिक विद्यालय पहुँच प्राप्त कर ली है, किंतु माध्यमिक स्तर पर छात्रों को बनाए रखने में चुनौतियाँ हैं।
    - प्रत्येक 10 में से 4 बच्चे उच्चतर माध्यमिक शिक्षा पूर्ण करने से पहले ही पढ़ाई छोड़ देते हैं।
    - इस संरचनात्मक विखंडन का अर्थ है कि केवल 5.4% विद्यालय ही कक्षा 1 से 12 तक सतत शिक्षा यात्रा उपलब्ध कराते हैं।

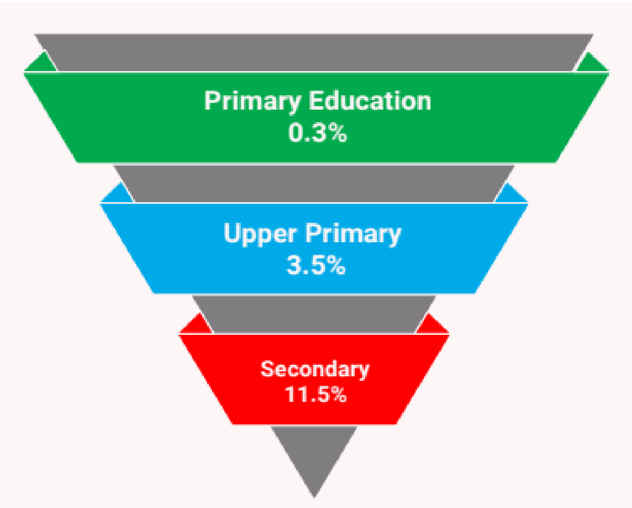

Figure 3.13: Dropout Rates across School Levels in India (2024-25)

- **अवसंरचना में परिवर्तन:** विद्युत और स्वच्छता जैसी आधारभूत सुविधाएँ अधिकांश राज्यों में उच्च स्तर तक पहुँच चुकी हैं, शेष अंतराल कुछ विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्रों में केंद्रित हैं।
- **डिजिटल पहुँच:** कंप्यूटर और इंटरनेट कनेक्टिविटी की बढ़ती उपलब्धता डिजिटल सशक्तिकरण की तीव्र गति को दर्शाती है।

रिपोर्ट के अनुसार अनुशंसाएँ

- शिक्षण, अधिगम और विद्यालय प्रशासन में डिजिटल अवसंरचना का एकीकरण।
- प्रयोगात्मक अधिगम हेतु प्रयोगशालाओं, पुस्तकालयों और संसाधन केंद्रों को सुदृढ़ करना।
- विद्यालय प्रबंधन समितियों को सशक्त करना और नीचे से ऊपर योजना को संस्थागत रूप देना।
- शिक्षक तैयारी, विषय विशेषज्ञता और व्यावसायिक विकास में सुधार।
- शिक्षा निरंतरता और पुनः प्रवेश मार्गों के माध्यम से ड्रॉपआउट रोकना एवं संबोधित करना।
- पाठ्यपुस्तक पूर्णता से आधारभूत दक्षता और स्तर-आधारित शिक्षण की ओर बदलाव।
- बाज़ार से जुड़ाव बनाना और विद्यालय-आधारित व्यावसायिक शिक्षा की क्षेत्रीय प्रासंगिकता बढ़ाना।

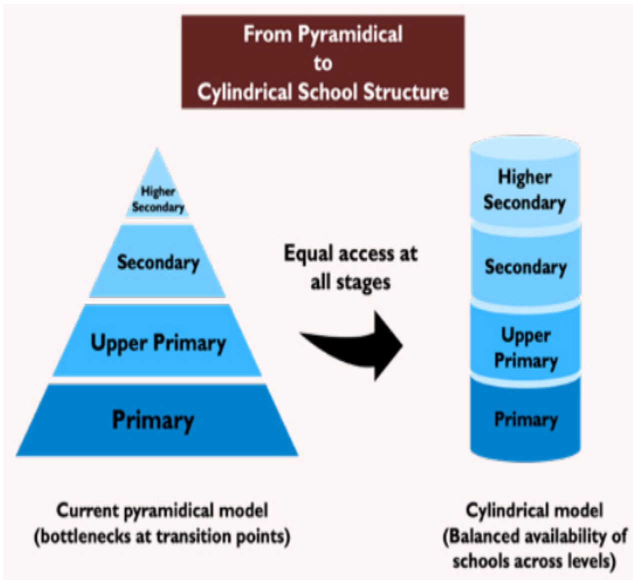

सरकारी पहलें

- **शिक्षा का अधिकार (RTE) अधिनियम, 2009:** 6–14 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की गारंटी, गुणवत्ता शिक्षा एवं भेदभाव-रहित वातावरण पर बल।
- **मध्याह्न भोजन योजना:** सरकारी विद्यालयों में छात्रों को निःशुल्क भोजन उपलब्ध कराना ताकि उपस्थिति बढ़े, पोषण सुधरे और ड्रॉपआउट दर घटे।
- **प्रधानमंत्री जन धन योजना (PMJDY):** वित्तीय समावेशन पर केंद्रित, जिससे निम्न-आय वर्ग के छात्र सरकारी शिक्षा लाभ और छात्रवृत्तियाँ प्राप्त कर सकें।
- **माध्यमिक शिक्षा हेतु कन्या प्रोत्साहन योजना:** ग्रामीण क्षेत्रों की बालिकाओं को शिक्षा जारी रखने हेतु वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान करना।
- **स्वच्छ विद्यालय अभियान:** विद्यालयों में स्वच्छ पेयजल, शौचालय और बेहतर स्वच्छता सुविधाएँ सुनिश्चित करना, विशेषकर बालिकाओं की शिक्षा को समर्थन देने हेतु।
- **डिजिटल इंडिया कार्यक्रम:** शिक्षा में प्रौद्योगिकी के एकीकरण को बढ़ावा देना, डिजिटल अधिगम संसाधनों तक पहुँच प्रदान करना और डिजिटल विभाजन को कम करना।
- **छात्रवृत्तियाँ और वित्तीय सहायता:** आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के छात्रों के लिए विभिन्न छात्रवृत्ति और वित्तीय सहायता कार्यक्रम, जैसे पूर्व-मैट्रिक और पश्च-मैट्रिक छात्रवृत्तियाँ।
- **नई शिक्षा नीति 2020:**
  - प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा (ECCE) पर बल, विशेषकर 6 वर्ष तक के बच्चों के लिए।
  - विद्यालय और उच्च शिक्षा स्तर पर बहु-विषयक अधिगम को प्रोत्साहन।
  - 5+3+3+4 विद्यालय संरचना का परिचय (5 वर्ष आधारभूत, 3 वर्ष तैयारी, 3 वर्ष मध्य, और 4 वर्ष माध्यमिक शिक्षा)।
  - रटने की बजाय आलोचनात्मक चिंतन, रचनात्मकता और समस्या-समाधान पर ध्यान।

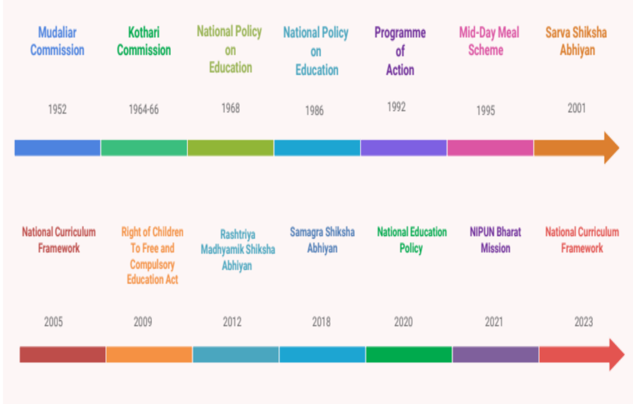

Figure 1.1: Timeline of Educational Policies and Interventions Post Independence

स्रोत: AIR

भारत की अत्यधिक भीड़भाड़ वाली कारागार प्रणाली में सुधार

संदर्भ

- राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की कारागार सांख्यिकी 2024 रिपोर्ट ने दिल्ली की कारागार प्रणाली में गंभीर संरचनात्मक कमियों को उजागर किया है, जहाँ जेलों में देश का सर्वाधिक 194.6% अधिभोग दर दर्ज किया गया।

भारत में कारागारों में बढ़ती भीड़भाड़ के कारण

- **न्यायिक विलंब**: आपराधिक मामलों की भारी लंबित संख्या के कारण विचाराधीन कैदियों की लंबी अवधि तक कारावास।
- **अपराधों का अति-आपराधिकरण**: छोटे अपराधों के लिए भी कारावास का अत्यधिक प्रयोग, निवारक निरोधक कानून और बार-बार गिरफ्तारी से जेल जनसंख्या बढ़ती है।
- **जमानत से जुड़ी चुनौतियाँ**: आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग वित्तीय कठिनाइयों के कारण जमानत प्राप्त नहीं कर पाते। जागरूकता की कमी एवं अपर्याप्त कानूनी सहायता से हिरासत लंबी होती है।
- **अपर्याप्त कारागार अवसंरचना**: बढ़ती कैदी जनसंख्या के अनुरूप कारागार अवसंरचना का विस्तार नहीं हुआ।

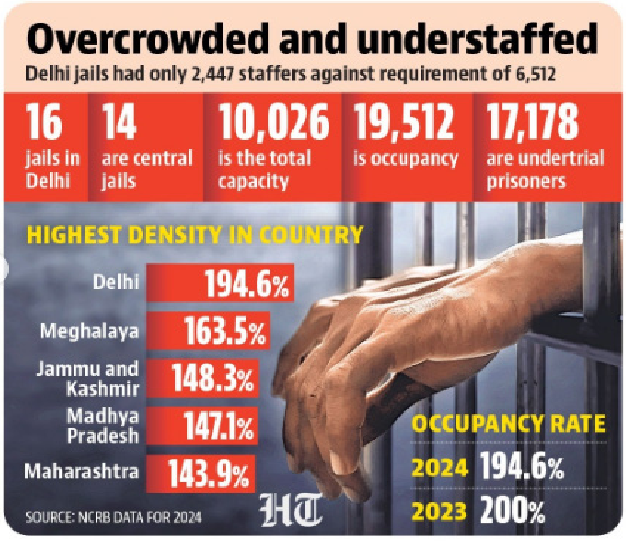

कारागारों में भीड़भाड़ से जुड़ी चिंताएँ

- **मानवाधिकार संबंधी चिंताएँ**: अत्यधिक भीड़भाड़ से खराब जीवन स्थितियाँ, स्वच्छता की कमी और अपर्याप्त स्वास्थ्य सुविधाएँ उत्पन्न होती हैं।
    - भीड़भाड़ वाले कारागारों में हिंसा, आत्महत्या और हिरासत में मृत्युओं की घटनाएँ बढ़ जाती हैं।
- **सुधारात्मक न्याय पर प्रभाव**: भारतीय कारागारों से अपेक्षा है कि वे केवल दंडात्मक स्थान न होकर सुधारात्मक संस्थान के रूप में कार्य करें।
    - किंतु भीड़भाड़ और प्रशासनिक कमी सुधारात्मक उद्देश्य को कमजोर करती है।

कारागार सुधार समितियाँ

- **न्यायमूर्ति ए.एन. मुल्ला समिति (1980–83)**: विचाराधीन कैदियों को दोषसिद्ध कैदियों से अलग रखने, कारागार स्थितियों, पोषण और स्वच्छता में सुधार की अनुशंसा।
- **न्यायमूर्ति अमिताभ रॉय समिति**: कारागारों में भीड़ कम करने, शीघ्र सुनवाई और कानूनी सहायता सुधार, तथा कारागार प्रबंधन में तकनीक के उपयोग की अनुशंसा।
- **कृष्ण अय्यर समिति**: महिलाओं के लिए अलग कारागार सुविधाओं की वकालत, ताकि शोषण रोका जा सके।

न्यायिक हस्तक्षेप

- **हुसैनारा खातून बनाम बिहार राज्य**: सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि शीघ्र सुनवाई का अधिकार अनुच्छेद 21 के अंतर्गत मौलिक अधिकार है।
- **राजस्थान राज्य बनाम बलचंद**: सर्वोच्च न्यायालय ने "जमानत नियम है और जेल अपवाद" का सिद्धांत स्थापित किया, जिससे व्यक्तिगत स्वतंत्रता (अनुच्छेद 21) को बल मिला।

कारागार सुधार हेतु उठाए गए कदम

- राज्य विधिक सेवा प्राधिकरणों ने जेलों में विधिक सेवा क्लीनिक स्थापित किए हैं, जो ज़रूरतमंदों को निःशुल्क कानूनी सहायता प्रदान करते हैं।
- गृह मंत्रालय ने वर्ष 2023 में मॉडल कारागार एवं सुधारात्मक सेवाएँ अधिनियम तैयार किया।
    - इस अधिनियम में कैदियों के सुधार, पुनर्वास और समाज में पुनः एकीकरण के प्रावधान हैं।
    - इसमें कैदी कल्याण कार्यक्रम और आफ्टर-केयर एवं पुनर्वास सेवाएँ भी संस्थागत देखभाल का अभिन्न हिस्सा हैं।

आगे की राह

- **प्रौद्योगिकी एकीकरण**: बेहतर अभिलेख-प्रबंधन, निगरानी और पारदर्शिता हेतु डिजिटल कारागार प्रबंधन प्रणाली लागू की जानी चाहिए।
    - न्यायालयीय सुनवाई में विलंब कम करने हेतु वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का विस्तार किया जाना चाहिए।
- **कैदियों का सामाजिक पुनःएकीकरण**: कारागार प्रणाली को व्यावसायिक प्रशिक्षण और कौशल विकास कार्यक्रमों को प्राथमिकता देनी चाहिए, ताकि रिहाई के बाद कैदियों की रोजगार क्षमता बढ़े।
- **कानूनी सहायता सुदृढ़ करना**: विशेषकर विचाराधीन कैदियों और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए समयबद्ध और प्रभावी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने हेतु कानूनी सहायता तंत्र को सुदृढ़ करना।
- **कारावास के विकल्प**: छोटे अपराधों के लिए सामुदायिक सेवा, प्रोबेशन और गैर-कारावासी दंड को प्रोत्साहित करना।

- भीड़भाड़ कम करने और पुनर्वास को समर्थन देने हेतु ओपन जेल मॉडल का राज्यों में विस्तार करना।

स्रोत: TOI

भारत–कनाडा सहयोग

समाचार में

- भारत और कनाडा ने नई दिल्ली में प्रस्तावित व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते (CEPA) के लिए वार्ता के दूसरे दौर को सफलतापूर्वक संपन्न किया।

भारत–कनाडा सहयोग के क्षेत्र

- **द्विपक्षीय तंत्र**: दोनों पक्षों के बीच मंत्रीस्तरीय रणनीतिक, व्यापार और ऊर्जा संवाद; विदेश कार्यालय परामर्श; पर्यावरण पर संयुक्त समिति बैठक एवं अन्य क्षेत्र-विशिष्ट संयुक्त कार्य समूह (JWGs) जैसे आधिकारिक स्तर के संवाद तंत्र उपस्थित हैं।
- **सुरक्षा सहयोग**: आतंकवाद-रोधी मुद्दों पर 1997 में स्थापित संयुक्त कार्य समूह (JWG) के माध्यम से सहयोग।
  - फरवरी 2018 में आतंकवाद और हिंसक उग्रवाद का सामना करने हेतु भारत–कनाडा सहयोग रूपरेखा पर हस्ताक्षर किए गए।
- **नागरिक परमाणु सहयोग**: जून 2010 में न्यूक्लियर कोऑपरेशन एग्रीमेंट (NCA) पर हस्ताक्षर हुए, जो सितंबर 2013 से लागू हुआ।
  - 2015 में भारत के परमाणु ऊर्जा विभाग ने कनाडा की कैमेको इंक.(Cameco Inc.) के साथ यूरेनियम आपूर्ति समझौता किया।
- **ऊर्जा सहयोग**: 2016 में मंत्रीस्तरीय ऊर्जा संवाद शुरू हुआ, जिसे 2018 में विद्युत , ऊर्जा दक्षता और नवीकरणीय ऊर्जा तक विस्तारित किया गया।
- **अंतरिक्ष सहयोग**: ISRO और कनाडाई अंतरिक्ष एजेंसी (CSA) ने 1996 और 2003 में अंतरिक्ष अन्वेषण एवं उपयोग पर MoU किए।
  - 2015 में ओटावा में अंतरिक्ष सहयोग पर MoU हुआ। ISRO ने कनाडा के कई नैनो-उपग्रह प्रक्षेपित किए।
  - जनवरी 2018 में PSLV की 100वीं उड़ान में कनाडा का पहला LEO भी शामिल था।
- **आर्थिक सहयोग**: 2025 (जनवरी–सितंबर) में वस्तुओं का द्विपक्षीय व्यापार CAD 9.96 बिलियन रहा। सेवाओं का व्यापार CAD 14.15 बिलियन रहा (भारत का निर्यात: CAD 3.31 बिलियन, आयात: CAD 10.84 बिलियन)।
  - कनाडा से भारत में पोर्टफोलियो निवेश CAD 100 बिलियन से अधिक है।
  - भारत कनाडा को औषधियाँ, इलेक्ट्रॉनिक्स, आभूषण, रत्न, समुद्री खाद्य और इंजीनियरिंग वस्तुएँ निर्यात करता है, जबकि कनाडा से खनिज, दालें, पोटाश, वुड पल्प, स्क्रैप धातु और रत्न आयात करता है।
- **विज्ञान और प्रौद्योगिकी**: औद्योगिक R&D, आर्कटिक और ठंडे जलवायु अध्ययन, स्वास्थ्य व कृषि में जैव-प्रौद्योगिकी, अपशिष्ट प्रबंधन और सतत जैव ईंधन पर संयुक्त अनुसंधान।
- **शिक्षा**: शिक्षा भारत–कनाडा संबंधों का प्रमुख स्तंभ है। भारतीय छात्र कनाडा में सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय छात्र समूह हैं।
  - 2018 में उच्च शिक्षा MoU और संयुक्त कार्य समूह के माध्यम से सहयोग को बढ़ावा मिला।
- **जन–जन और सांस्कृतिक संबंध**: कनाडा में लगभग 18 लाख प्रवासी भारतीय और 10 लाख अनिवासी भारतीय रहते हैं। सां
  - स्कृतिक संबंध प्रवासी संगठनों, फिल्म सह-निर्माण, स्मारक डाक टिकट, विश्वविद्यालयों में शैक्षणिक चेयर और सांस्कृतिक कार्यक्रमों व योग उत्सवों से सुदृढ़ होते हैं।

चुनौतियाँ

- **राजनीतिक तनाव**: खालिस्तान उग्रवाद के प्रति कनाडा की सहिष्णुता के आरोपों ने संबंधों को प्रभावित किया।
- **संप्रभुता संबंधी चिंताएँ**: भारत कनाडा की घरेलू राजनीति को अपने आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप मानता है।

- **सुरक्षा मुद्दे**: आतंकवाद और भ्रामक प्रचार अभियान प्रमुख खतरे बने हुए हैं।
- **विश्वास की कमी**: राजनयिक तनावों ने दीर्घकालिक अविश्वास पैदा किया है।

नवीनतम विकास

- भारत–कनाडा संबंधों को उच्च-स्तरीय वार्ताओं के माध्यम से पुनर्निर्मित किया जा रहा है।
- 2025 के G7 और G20 शिखर सम्मेलनों में दोनों पक्षों ने राजनयिक स्थिरता पुनर्स्थापित करने, आधिकारिक संवाद पुनः आरंभ करने और CEPA वार्ता शुरू करने पर सहमति व्यक्त की, ताकि 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार USD 50 बिलियन तक पहुँच सके।
- हालिया वार्ताएँ वस्तुओं और सेवाओं के व्यापार, बौद्धिक संपदा, मूल नियम और तकनीकी मानकों जैसे क्षेत्रों को कवर करती हैं।
  - दोनों देशों ने संतुलित और परस्पर लाभकारी समझौते के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है।

निष्कर्ष और आगे की राह

- भारत–कनाडा संबंध आर्थिक रूप से सुदृढ़ किंतु राजनीतिक रूप से संवेदनशील हैं। भविष्य की प्रगति आपसी सम्मान, विश्वास और संस्थागत सहयोग पर निर्भर करेगी।
- दोनों देशों को संरचित संवाद तंत्र स्थापित करने, आतंकवाद-रोधी सहयोग और खुफिया साझेदारी गहन करने, CEPA व्यापार वार्ता को आगे बढ़ाने, तथा शिक्षा एवं सांस्कृतिक संबंधों को छात्रवृत्तियों और अनुसंधान साझेदारी के माध्यम से विस्तारित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।
- साथ ही, इंडो-पैसिफिक सहयोग को बढ़ावा देकर आपूर्ति श्रृंखलाओं और क्षेत्रीय स्थिरता को सुदृढ़ करने की अपेक्षा है।

स्रोत: PIB

सोमनाथ मंदिर

समाचार में

- सोमनाथ स्वाभिमान पर्व सोमनाथ मंदिर से जुड़े दो प्रमुख ऐतिहासिक पड़ावों का स्मरण करता है:
- 1026 ईस्वी में महमूद ग़ज़नी द्वारा मंदिर पर प्रथम दर्ज आक्रमण के 1,000 वर्ष पूर्ण।
- मई 1951 में स्वतंत्रता-उपरांत मंदिर के पुनः उद्घाटन के 75 वर्ष।

सोमनाथ

- **स्थान**: गुजरात के सौराष्ट्र तट पर प्रभास पाटन।
  - यह भारत के सबसे पवित्र तीर्थ केंद्रों में से एक है।
- **उत्पत्ति**: सोमनाथ की उत्पत्ति प्राचीन भारतीय परंपरा में गंभीरता से निहित है।
  - यह स्थल भगवान शिव और चंद्रदेव की उपासना से जुड़ा है।
- **विशेषताएँ**: सोमनाथ भगवान शिव के बारह आदि ज्योतिर्लिंगों में प्रथम है।
  - मंदिर परिसर में गर्भगृह, सभा मंडप और नृत्य मंडप शामिल हैं।
  - यह अरब सागर के किनारे भव्यता से स्थित है।
  - मंदिर का शिखर 150 फुट ऊँचा है, जिसके शीर्ष पर 10 टन का कलश स्थापित है।
  - बिल्व पूजा जैसे अनुष्ठान प्रतिवर्ष लगभग 13.77 लाख भक्तों को आकर्षित करते हैं।
- **महत्व**: शिवपुराण में वर्णित पवित्र ज्योतिर्लिंगों में से एक।
  - भगवान शिव, भगवान कृष्ण और शक्ति की उपासना के लिए प्रसिद्ध।
  - द्वादश ज्योतिर्लिंग स्तोत्र में सोमनाथ को प्रथम स्थान दिया गया है।
- **आक्रमण:** सोमनाथ का सबसे अशांत काल 11वीं शताब्दी से आरंभ हुआ।
  - जनवरी 1026 में मंदिर पर प्रथम दर्ज आक्रमण हुआ।
  - इसके बाद 11वीं से 18वीं शताब्दी तक मंदिर कई बार ध्वस्त किया गया।
- **पुनर्निर्माण:** बार-बार विनाश के बावजूद मंदिर का पुनर्निर्माण स्थानीय शासकों और भक्तों द्वारा किया गया।
  - 12वीं शताब्दी में कुमारपाल ने मंदिर का पुनर्निर्माण किया।

- 13वीं शताब्दी में जूनागढ़ के राजा ने इसे पुनः निर्मित किया।
- 18वीं शताब्दी में मराठा रानी अहिल्याबाई होल्कर ने नए मंदिर का निर्माण कराया।

- **स्वतंत्रता-उपरांत स्थिति:** 1947 में सरदार वल्लभभाई पटेल ने मंदिर के खंडहरों का दौरा कर पुनर्निर्माण का संकल्प लिया।
    - वर्तमान मंदिर कैलाश महामेरु प्रसाद शैली में निर्मित है।
    - मई 1951 में मंदिर का पुनर्निर्माण चालुक्य शैली में पूर्ण हुआ।
    - 11 मई 1951 को राष्ट्रपति डॉ. राजेंद्र प्रसाद ने मंदिर का विधिवत् पुनःप्राण-प्रतिष्ठा की।

- **वीर हमीरजी गोहिल:** वे एक क्षेत्रीय योद्धा थे जिन्होंने 1299 ईस्वी में ज़फ़र ख़ान के आक्रमण के दौरान सोमनाथ मंदिर की रक्षा करते हुए प्राणों की आहुति दी।
    - उनका स्मरण स्थानीय परंपरा और सामूहिक स्मृति में होता है।
    - उनका जीवन राजधर्म की अवधारणा को प्रतिबिंबित करता है – अर्थात् पवित्र स्थलों, समाज और सांस्कृतिक धरोहर की रक्षा करना, चाहे विजय की संभावना कम ही क्यों न हो।

विविध पहलें

- **सोमनाथ स्वाभिमान पर्व**: मंदिर की स्थायी विरासत और दृढ़ता का उत्सव।
    - यह मंदिर पर 1026 में हुए प्रथम दर्ज आक्रमण के 1,000 वर्ष और 11 मई 1951 को इसके पुनः उद्घाटन की 75वीं वर्षगांठ को चिह्नित करता है, जब इसे भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉ. राजेंद्र प्रसाद द्वारा राष्ट्र को समर्पित किया गया।

सांस्कृतिक पहलें: सोमनाथ की विरासत के साथ जनसंपर्क को सांस्कृतिक पहलों ने और गहरा किया है।

- लाइट एंड साउंड शो 2003 में प्रारंभ हुआ और 2017 में उन्नत किया गया।
    - आज इसमें कथन और 3D लेज़र तकनीक का प्रयोग होता है।
- वंदे सोमनाथ कला महोत्सव जैसे कार्यक्रमों ने 1,500 वर्ष प्राचीन नृत्य परंपराओं को पुनर्जीवित किया है।

- 2018 में "स्वच्छ आइकॉनिक प्लेस" घोषित किए जाने के बाद, सोमनाथ ने नवोन्मेषी सतत विकास प्रथाएँ अपनाई हैं।

स्रोत: PIB

संक्षिप्त समाचार

165वीं जयंती – रवीन्द्रनाथ टैगोर

संदर्भ

- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुदेव रवीन्द्रनाथ टैगोर को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की।

परिचय

- रवीन्द्रनाथ टैगोर का जन्म 7 मई 1861 को (25 बोइशाख, 1268 बंगाब्द, बंगाली पंचांग) कलकत्ता में हुआ।
    - उनकी जयंती पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश में "पोइशे बोइशाख" के रूप में मनाई जाती है।
- वे एक भारतीय बहु-प्रतिभाशाली व्यक्तित्व थे – कवि, लेखक, नाटककार, संगीतकार, दार्शनिक, समाज सुधारक और चित्रकार, जिन्होंने बंगाल पुनर्जागरण में योगदान दिया।
- उन्होंने 1921 में विश्व-भारती विश्वविद्यालय की स्थापना की।
- **साहित्यिक योगदान:** टैगोर ने परंपरा और आधुनिकता को जोड़ते हुए संदर्भात्मक आधुनिकतावाद के माध्यम से बंगाली साहित्य और संगीत को नया रूप दिया।
    - **गीतांजलि**: भक्तिपरक कविताओं का संग्रह।
    - **गोरा**: राष्ट्रवाद और पहचान पर आधारित दार्शनिक उपन्यास।
    - **घर-बैरे (द होम एंड द वर्ल्ड)**: आक्रामक राष्ट्रवाद की आलोचना।

- **संगीत धरोहर:** उनकी रचनाएँ राष्ट्रीय गान बनीं:
    - भारत: जन गण मन
    - बांग्लादेश: आमार सोनार बांग्ला
    - उनका गीत बांग्लार माटी बांग्लार जल पश्चिम बंगाल का राज्य गीत है।
- **विरासत:** 1913 में टैगोर गीतांजलि के लिए साहित्य में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले गैर-यूरोपीय और पहले गीतकार बने।
    - उन्हें गुरुदेव, कविगुरु और विश्वकवि की उपाधियाँ दी गईं।

स्रोत: TH

महाराणा प्रताप की जयंती

संदर्भ

- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराणा प्रताप की जयंती पर इस वीर योद्धा को श्रद्धांजलि दी।

परिचय

- महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 को कुंभलगढ़, राजस्थान में हुआ।
- वे मेवाड़ के शासक सिसोदिया वंश के महाराणा उदय सिंह के पुत्र थे।
- वे मुगल सम्राट अकबर की विस्तारवादी नीतियों के विरुद्ध अडिग प्रतिरोध के लिए प्रसिद्ध हैं।
- **हल्दीघाटी का युद्ध (1576)**: महाराणा प्रताप और आमेर के राजा मान सिंह के नेतृत्व वाली मुगल सेना के बीच। यह युद्ध राजपूतों के वीरतापूर्ण प्रतिरोध के लिए प्रसिद्ध है।
    - निर्णायक विजय नहीं हुई, किंतु महाराणा प्रताप ने दक्षिणी मेवाड़ की पहाड़ियों में संघर्ष जारी रखा।
    - उनका घोड़ा चेतक निष्ठा और वीरता के लिए प्रसिद्ध है।
- **देवैर का युद्ध (1582)**: इसमें प्रताप की सेना ने मुगलों को पराजित कर अधिकांश क्षेत्र पुनः प्राप्त किया।
- **उपाधि:** ब्रिटिश विद्वान कर्नल टॉड ने उन्हें राजस्थान का लियोनिडास कहा।

स्रोत: PIB

प्रोजेक्ट फ्रीडम

संदर्भ

- अमेरिका ने हाल ही में शुरू की गई पहल प्रोजेक्ट फ्रीडम को स्थगित करने की घोषणा की।

परिचय

- 28 फरवरी को अमेरिका और इज़राइल द्वारा ईरान पर हवाई हमले के बाद हॉर्मुज़ जलडमरूमध्य लगभग अवरुद्ध हो गया।
- ईरान ने इस महत्वपूर्ण जलमार्ग को बंद कर दिया, जिससे विश्व के लगभग 20% तेल और तरलीकृत प्राकृतिक गैस का आवागमन प्रभावित हुआ।

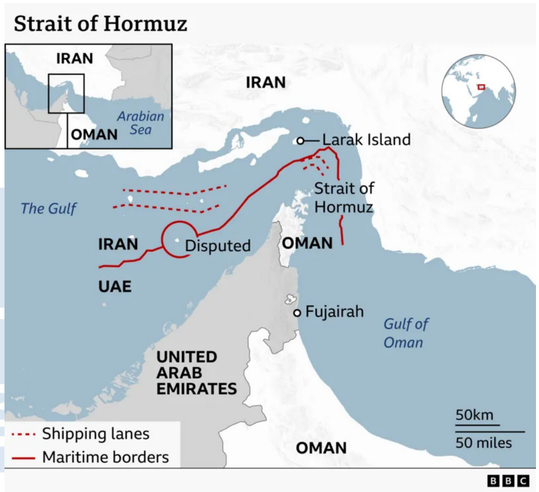

- अमेरिका ने ईरान द्वारा अवरोधित हॉर्मुज़ जलडमरूमध्य में फंसे हजारों व्यापारी जहाजों को मार्गदर्शन देने हेतु यह अभियान शुरू किया।
- इस अभियान में गाइडेड-मिसाइल डेस्ट्रॉयर, 100 से अधिक विमान और लगभग 15,000 कर्मी 24×7 सुरक्षा प्रदान कर रहे हैं।

स्रोत: TH

भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा पूंजी पर्याप्तता मानदंडों में संशोधन

समाचार में

- भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने बैंकों की कॉमन इक्विटी टियर 1 (CET1) पूंजी में त्रैमासिक लाभ को शामिल

करने संबंधी दिशा-निर्देशों में संशोधन किया है, जिसका उपयोग कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट्स रेशियो (CRAR) की गणना में किया जाता है।

क्या आप जानते हैं?

- **CRAR:** यह बैंक की वित्तीय सुदृढ़ता और संभावित हानियों को सहन करने की क्षमता का प्रमुख संकेतक है।
- **CET1:** यह बैंकों द्वारा रखी गई मूल पूंजी को दर्शाता है।

RBI के संशोधित दिशा-निर्देश

- RBI ने मानदंडों को शिथिल करते हुए बैंकों को वर्तमान वर्ष के त्रैमासिक लाभ को CRAR गणना में शामिल करने की अनुमति दी है।
  - पहले यह केवल तभी संभव था जब बैंक कुछ NPA-संबंधी शर्तों को पूरा करते।
  - संशोधित दिशा-निर्देशों ने इस आवश्यकता को हटा दिया है, जिससे प्रक्रिया सरल हो गई है।
- अब बैंक निर्दिष्ट शर्तों और सूत्रों के अधीन त्रैमासिक लाभ को CRAR गणना में शामिल कर सकते हैं, बशर्ते कि वित्तीय विवरणों का पूर्ण ऑडिट या सीमित समीक्षा अनिवार्य रूप से की गई हो।

स्रोत: DD

TARA ग्लाइड वेपन/हथियार

समाचार में

- DRDO और भारतीय वायुसेना ने टैक्टिकल एडवांस्ड रेंज ऑग्मेंटेशन (TARA) हथियार/वेपन का सफल परीक्षण किया है। यह पारंपरिक अनगाइडेड बमों (डम्ब बम, ग्रेविटी बम, आयरन बम) को प्रिसीजन-गाइडेड म्यूनिशन (PGMs) में परिवर्तित करने के लिए बनाया गया है।

परिचय

- इसे हैदराबाद स्थित DRDO प्रयोगशाला रिसर्च सेंटर इमारत ने अन्य DRDO संस्थानों के सहयोग से विकसित किया है।
- इसका उद्देश्य कम लागत पर वर्तमान अनगाइडेड हथियारों की मारक क्षमता और सटीकता बढ़ाना है।
- यह विशेष रूप से बुनियादों लक्ष्यों को उच्च सटीकता से निष्क्रिय करने के लिए बनाया गया है, जिससे अनावश्यक क्षति कम हो और मिशन की सफलता दर बढ़े।

स्रोत: AIR

अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन (ISO)

समाचार में

- भारतीय मानक ब्यूरो ने नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन (ISO) की तकनीकी समिति 20/उप-समिति 14 की 35वीं पूर्ण बैठक और कार्य समूह बैठक की मेजबानी की। विषय था – स्पेस सिस्टम्स एंड ऑपरेशन्स।

ISO के बारे में

- ISO एक स्वतंत्र, गैर-सरकारी अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो स्वैच्छिक और सहमति-आधारित अंतर्राष्ट्रीय मानक विकसित एवं प्रकाशित करता है।
- यह राष्ट्रीय मानक निकायों का वैश्विक महासंघ है, जिसमें प्रत्येक देश का एक सदस्य होता है। भारत में सदस्य निकाय भारतीय मानक ब्यूरो (BIS) है।
- ISO मानक विभिन्न देशों की मशीनों, तकनीकों और प्रणालियों को सुचारु रूप से कार्य करने में सहायता करते हैं। उदाहरण: इलेक्ट्रॉनिक्स में संचार प्रोटोकॉल, औद्योगिक विनिर्माण संगतता, और अंतरिक्ष प्रणालियों का एकीकरण।
- **मुख्यालय:** जिनेवा, स्विट्ज़रलैंड।

ISO TC 20 / SC 14 के बारे में

- यह ISO की एक विशेष उप-समिति है जो स्पेस सिस्टम्स और ऑपरेशन्स से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय मानकों को तैयार करने के लिए जिम्मेदार है।
- **TC 20:** विमान और अंतरिक्ष यान।
- **SC 14:** अंतरिक्ष प्रणालियाँ और संचालन।

स्रोत: PIB

हाइब्रिड गुलाब 'त्रिभुवन' – स्व. त्रिभुवन प्रसाद सिंह को श्रद्धांजलि

संदर्भ

- संस्थापक दिवस 2026 के अवसर पर त्रिभुवन स्कूल में नव-विकसित हाइब्रिड गुलाब "त्रिभुवन" का अनावरण किया गया।

परिचय

- यह पुष्पांजलि स्व. त्रिभुवन प्रसाद सिंह को समर्पित है, जो एक प्रतिष्ठित सिविल सेवक और दूरदर्शी शिक्षाविद् थे।
- उनका जीवन लोक सेवा और राष्ट्र निर्माण में उत्कृष्टता का प्रतीक रहा।
- वे भारत के योजना आयोग के पहले पूर्णकालिक सचिव और 1936 बैच के ICS अधिकारी थे।
- बाद में उन्होंने देश के वित्त सचिव और कृषि सचिव के रूप में सेवा दी।
- स्वतंत्रता-उपरांत भारत की नीतियों के निर्माण में उनके योगदान को सदैव स्मरण किया जाता है।

स्रोत: IE

■■■■